

न्यायालय राज्य अधीन याचिका, न्याय

पीठाधीन याचिका श्री नरवदन शर्मा, आर.ए.एस.

2021-96 RAAJodhpur2021-28RTA223 Sherram etc Vs Tilokram etc

01. शरारत पुत्र श्री बाबुलाल

02. लीला पुत्री श्री बाबुलाल

03. दिलेश पुत्र श्री बाबुलाल

04. श्रीमती परमा पत्नी श्री बाबुलाल

05. राज पुत्री श्री बाबुलाल

अपीलाधी संख्या 5 जाबालिया निसि कुरती वली माला।

सभी जाबालिया चौकीदार, निवासीजप- लवेरा कला, तहसील

बावडी, जिगा न्यायपु।

--- अपीलानिस

ब

ल

म

1. तिलोकसम पुत्र श्री देवासम

2. श्रीमती सुवती पत्नी श्री तिलोकसम,

दोना जाबालिया मधवाल, निवासीजप- विरगोका,

तहसील खीवसर, जिगा न्यायपु। वादीजप

3. सािकल पुत्र श्री शंकरसम

4. हरपाल पुत्र श्री शंकरसम

5. श्रीवासम पुत्र श्री शंकरसम

a. राजा पत्नी श्रीवासम

b. श्रीवासम पुत्र श्री श्रीवासम

c. एकेश पुत्र श्री श्रीवासम

d. आनसम पुत्र श्री श्रीवासम

e. मशराम पुत्र श्री श्रीवासम

f. जवादीश पुत्र श्री श्रीवासम

सभी जाबालिया चौकीदार, निवासीजप-

लवेराकला, तहसील बावडी, जिगा न्यायपु।

6. श्रीमिथारी तहसीलदार बावडी।



अपील अन्वित धारा 223 राज्यपाल कारवाकरी

अधिलेखन 1955 बरखिलाक आदेश सहायक कलेक्टर

बावडी जिगा एवं डिफी दिनांक 10 नवंबर 2020 राज्यपाल

वाद संख्या 152/2018 तिलोकसम वनाम श्रीवासम

राजस्थान न्यायालय
जयपुर

राज्य अपील निकाय
जोधपुर

बाई।

पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध आगोश्व अपील परचल की
दोले पर दिनांक 10 नवंबर 2020 को अंतिम डिक्ली एवं निर्णय
विभाजन परचल तलब किया गया। विभाजन परचल परचल
एवं निर्णय पारित किया जाकर तहसीलदार बावडी से
न्यायालय द्वारा दिनांक 28 मई 2020 को प्राथमिक डिक्ली
न्यायालय के समक्ष परचल किया। जिसमें अधीनस्थ
188 राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम का अधीनस्थ
बाडी/रेप्री. संख्या एक ले एक बाद अन्तर्गत धारा 53, 188,
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि



को क्षमा किया जाने का निर्देश किया।
धारा 05 न्याय अधिनियम पेश कर अपील परचल में हुए विवेक
अपीलित द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
223 के तहत दिनांक 18 फरवरी 2021 को पेश की गयी है।
दोले के समक्ष राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम, 1955 की धारा
तलबकारीय बलम सीदियम के विवेक आगोश्व अपील अदालत
एवं डिक्ली दिनांक 10 नवंबर 2020 राजस्थान बाद संख्या 152/2018
सहायक कलेक्टर एवं उपरान्त अधिकाारी बावडी द्वारा निर्णय
दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

निर्णय

श्री बालुगल विनोद, अधिवक्ता अपीलिट्स
श्री जगजित लाल चौधरी, अधिवक्ता रेप्री. संख्या 1 व 2
श्री दयाराज चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेप्री. संख्या 06

उपस्थित -

--- 0 ---

